भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 942

गुरुवार, 27 जुलाई, 2023/05 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र को हुआ वित्तीय नुकसान

942 श्री आर. गिरिराजनः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष अग्रणी राज्यों में से एक होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2019 से देश में पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र को कितना वित्तीय नुकसान हुआ है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में और देश में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी नहीं, महोदय। 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता' योजनाओं के तहत तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय ने "भारत और कोरोना वायरस महामारीः पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और क्षतिपूर्ति हेतु नीतियां-फेस II" पर एक अध्ययन करवाया है। इस संबंध में पर्यटन संबंधी प्रत्यक्ष योजित सकल मूल्य (टीडीजीवीए) पर प्रभाव निम्नानुसार हैः-

- यद्यपि वर्ष 2018-19 (महामारी-पूर्व एक पूर्ण सामान्य वर्ष) में संबंधित तिमाही की तुलना में वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में समग्र अर्थव्यवस्था में 11.8 प्रतिशत की मामूली

गिरावट हुई, पर्यटन अर्थव्यवस्था या टीडीजीवीए में आपूर्ति संबंधी कमी के कारण समान तिमाही में 49.6 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई।

- तथापि मांग संबंधी प्रतिकूल प्रभावों पर भी विचार करते हुए, जो टीडीजीवीए में सर्वाधिक संभावित नुकसान को दर्शाता है, यह अनुमान लगाया गया है कि टीडीजीवीए वित्तीय वर्ष 2018-19 की समान तिमाही में अपने स्तर की तुलना में वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में लगभग 93.0 प्रतिशत तक तेज़ी से गिरा। यह महामारी की प्रथम लहर के प्रभाव को दर्शाता है।
- महामारी की दूसरी लहर का पर्यटन अर्थव्यवस्था पर लगभग समान प्रभाव रहा जब टीडीजीवीए वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में 87.2 प्रतिशत तक गिर गया। तीसरी लहर का प्रभाव कम रहा परंतु वर्ष 2018-19 में महामारी से पूर्व के स्तर की तुलना में संपूर्ण वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान पर्यटन अर्थव्यवस्था ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु सहित देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए/पहलें शुरू कीः-

i. 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन' (प्रशाद) और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है।

iii. आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

iv. नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल शुरू की गई है।

v. अन्य निश थीमों के साथ-साथ निरोगता पर्यटन, कलीनरी पर्यटन, ग्रामीण, ईको-पर्यटन आदि जैसे थीमैटिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्यटन के दायरे को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सके।

vi. 167 देशों के नागरिकों के लिए पाँच उप-श्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिज़नेस वीज़ा, ई-चिकित्सा वीज़ा, ई-चिकित्सा सहयोगी वीज़ा और ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई- वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।

vii. ई- वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।

viii. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए 1001/- रु. से 7,500/- रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12% और 7,501/- रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर 18% कर दिया गया।

ix. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर आरसीएस उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा चिह्नित एयरलाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क में सुधार हेतु इनमें से 53 मार्गों को प्रचालनरत किया गया है।

x. पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम (आईआईटीएफ) चला रहा है, जोकि एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में उच्च प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक पूल बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का निर्माण करना है।

xi. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने हेतु 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रम चलाना।

xii. राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए डिजीटलीकरण की सुविधा प्रदान करना और व्यापार में सुगमता को प्रोत्साहित करना है। इस पहल को निधि+ के रूप में उन्नत किया गया है ताकि न केवल आवास इकाईयों अपितु यात्रा एजेंटो, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, खाद्य और पेय इकाईयों, ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटरों, व्याख्या केंद्रों और पर्यटक सुविधाप्रदाताओं को और समावेशी बनाया जा सके।

xiii. कोरोना महामारी के दौरान हुए नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड़ ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इन्टरप्राइजिज) के तहत ईसीएलजीए (इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) और सीजीएस (क्रेडिट गारंटी स्कीम) जैसी योजनांए आरम्भ की।

****

अनुबंध

पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र को हुआ वित्तीय नुकसान के सम्बन्ध में दिनांक 27.07.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 942 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ 2016-17	(चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मनपाडु – कन्याकुमारी) का विकास	73.13	69.48

प्रशाद योजना (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि
1.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99	13.99
2.		वेलंकनी का विकास	2016-17	4.86	4.86

पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
वर्ष 2012-13					
1.	तमिलनाडु	चेन्नई पोर्ट में मौजूदा यात्री टर्मिनल में क्रूज यात्री सुविधा केंद्र	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	17.25	17.25
वर्ष 2017-18					
2.	तमिलनाडु	रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	4.70	3.76
वर्ष 2018-19					
3.	तमिलनाडु	मदुरै रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	4.48	3.56

****